न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सिरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 187/2019
जीसीएमएस न0 2019/00565

1. बाबुलाल पिता लक्ष्मण रेगर निवासी फलवा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।

- प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा राज0।

-विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री लक्ष्मण सिंह सौलंकी – प्रार्थी
2– पेरोकार सरकार तहसीलदार – अधिवक्ता अप्रार्थी

:: निर्णय ::

दिनांक 29.12.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि वाके मौजा फलवा पटवार हल्का फलवा की खाता सं. 35 नया व पुराना 36 की आराजी नं. 115 रकबा 0.7600 हेक्टेयर होकर मेरे पिताजी के जमाने से अपने भाईयों के साथ शान्तिपूर्ण रुप से काश्त करता चला आ रहा हूं।

2. प्रार्थना पत्र 1 में वर्णित आराजीयात में मेरे पिता लक्ष्मण जी के हम चार वारिसान हैं जो इस प्रकार हैं मेरी माता मु. भोलीबाई, मांगीलाल, शान्तिबाई और मैं स्वयं प्रार्थी बाबुलाल हूं। सहवन से बाबुलाल की बजाय बालु दर्ज हो गया जब कि बालु हमारे परिवार में किसी का नाम ही नही हैं। मुझ प्रार्थी की जगह बाबुलाल के स्थान पर गलती से बालु दर्ज हो गया जिसे राजस्व रेकार्ड में शुद्ध किया जाना न्यायोचित है और मेरा रिकार्डेड नाम भी बाबुलाल है। और इसमें किसी अन्य को कोई ऐतराज भी नहीं है।

3. प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके मौजा फलवा हल्का पटवार क्षेत्र फलवा की खाता सं. 35 नया व पुराना 36 की आराजी नं. 115 रकबा 0.7600 हेक्टेयर में बालू की जगह बाबु नाम दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में दुरुस्त करने का निवेदन किया है।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा उपस्थित होकर एवं जांच रिपोर्ट में निवेदन किया कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया वाके मौजा फलवा हल्का पटवार क्षेत्र फलवा की खाता सं. 35 नया व पुराना 36 की आराजी नं. 115 रकबा 0.7600 हेक्टेयर में प्रार्थी का नाम बाबुलाल के बजाय बालु अंकित कर दिया जो राजस्व कर्मचारियों की गलती से हुआ है, जबकि प्रार्थी का नाम बाबुलाल हैं। इसलिए प्रार्थी का सही नाम बाबुलाल राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाने की अनुशंषा की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:46:33 IST
Reason: SelfAttested

5. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.***

7. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

8. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेजो के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि वाके मौजा फलवा हल्का पटवार क्षेत्र फलवा की खाता सं. 35 नया व पुराना 36 की आराजी नं. 115 रकबा 0.7600 हेक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम बाबुलाल के बजाय बालु अंकित कर दिया जो राजस्व कर्मचारीयों की गलती से हुआ है जबकि प्रार्थी का नाम बाबुलाल हैं जो प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अन्य दस्तावेज सरपंच, ग्राम पंचायत फलवा का प्रमाण पत्र, भामाशाह कार्ड की प्रति, बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक पास बुक की प्रति ,राशन कार्ड की प्रति पेश की है जिसमे प्रार्थी का सही नाम बालु के बजाय बाबुलाल होना प्रमाणित होता है।

आदेश

9. **अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि संवत् 2072–75 मौजा फलवा पटवार हल्का फलवा की खाता सं. 35 की आराजी नं. 115 रकबा 0.7600 हेक्टेयर भूमि में खातेदार बालु पिता लक्ष्मण रेगर के बजाय बाबुलाल पिता लक्ष्मण रेगर के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार अमल दरामद करे।**

10. निर्णय आज दिनांक 29.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:46:33 IST
Reason: SelfAttested

29/12/23

(रमेश सीरवी पुनाडियॉ)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा